इलाहाबाद नगर निगम

इलाहाबाद नगर निगम क्षेत्र को "खुले में शौच से मुक्त" किये जाने की अनन्तिम घोषणा एवं आपत्ति तथा सुझाव का आमंत्रण

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत इलाहाबाद निगम में नगर क्षेत्र को "खुले में शौच से मुक्त" करने हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं, जैसे सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण ऐसे परिवार जिनके पास स्थान होते हुये भी व्यक्तिगत शौचालय नही है उन्हें 8000/– रूपये की सहायता देते हुये व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया।

आगन्तुको एवं पर्यटको की सुविधा हेतु शौचालयो को चिन्हित करने हेतु गुगल ट्वायलेट लोकेटर ऐप पर भी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों को दर्ज कराया गया ताकि कोई भी आगन्तुक, पर्यटक यात्री अपने स्थल के आस–पास उसे आसानी से चिन्हित कर उपयोग कर सके।

इलाहाबाद नगर निगम क्षेत्र में सभी पेट्रोल पम्पों पर अनिवार्य शौचालय/मूत्रालय की व्यवस्था के साथ–साथ आम जनता की आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपयोग हेतु उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया गया एवं वहां पर इस आशय के साइनेज भी लगवाये गये है। उपरोक्त अवस्थापना सुविधाओ को दृष्टिगत रखते हुये तथा "खुले में शौच से मुक्त" वार्डों के स्कूलो के बच्चों, अध्यापको एवं प्रधानाचार्य, वार्ड के स्वयं सहायता समूहो, वार्ड के पूर्व पार्षदो द्वारा स्थानीय नागरिकों की सहायता से किये गये जन–जागरण व खुले में शौच करने वालो के व्यवहार परिवर्तन को देखते हुये तथा नगर निगम के द्वारा किये गये प्रचार–प्रसार, स्वच्छता ऐप का इस्तेमाल, सफाई कर्मचारियों, सफाई नायकों, सफाई निरीक्षकों एवं अधिकारियों द्वारा किये गये अथक प्रयासो के फलस्वरूप उत्पन्न वातावरण को दृष्टिगत रखते हुये अब यह स्थिति बन रही है कि इलाहाबाद नगर निगम क्षेत्र को (वार्ड 01 से 80 तक) अनन्तिम रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाये। यह सम्भव है कि कुछ ऐसे स्थल अभी तक चिन्हित नहीं हो सके हो अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहार/दृष्टिकोण में परिवर्तन न हुआ हो, जिसके कारण उपरोक्त व्यवस्थाओ के बावजूद खुले मे शौच किया जा रहा है, उनको चिन्हित कर उसका निराकरण किया जायेगा।

इलाहाबाद नगर निगम क्षेत्र को अनन्तिम रूप से "खुले में शौच से मुक्त" स्वघोषित करते हुये, इस घोषणा मे नागरिक भागीदारी हेतु नगर निगम क्षेत्र के निवासियों एवं अन्य सभी सम्बन्धित से खुले मे शौच के शेष स्थलो (यदि कोई हो) के चिन्हांकन व उसे समाप्त करने की व्यवस्था हेतु इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन (15 दिन) के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है।

यह आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप से लगी नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में रखे "सुझाव पेटिका" मे अथवा ई–मेल allahabadnagarnigam@gmail.com पर अथवा www.aldnnpgrs.in पर अथवा प्रकोष्ठ के दूरभाष नं0 9119803080 एवं 0532–2427204 पर दिये जा सकते है, प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावो पर कार्यवाही करके नगर निगम क्षेत्र को अन्तिम रूप से "खुले में शौच से मुक्त" घोषित किया जाये।

29.12

(डा0 वी0पी0सिंह)
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
29.12-17

(हरिकेश चौरसिया)
नगर आयुक्त